तत्काल

संख्या–1225/90–सं0शि0प0का0/2019–01 सं0शि0/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक–05 ~~अक्टूबर,~~ नवम्बर 2019

विषय– मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर नियमानुसार समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने तथा निरन्तर मॉनीटरिंग करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने और कृत कार्यवाही की त्रैमासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–03/2018–469/90–सं0शि0प0का0–2018–01सं0 शि0/2015, दिनांक–24 अप्रैल, 2018 और उसके साथ संलग्न कर ऑनलाइन प्रेषित किये गये मुख्य सचिव महोदय की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या– 1105/90–सं–1–2012–70सं/1984, दिनांक–28 सितम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या–1117/90–सं–1–2015–70सं/1984, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015, शासनादेश संख्या–2/2018/400/90–सं0शि0प0का0/18–01(सं0शि0)/2015, दिनांक–04 फरवरी, 2019 (जो "Shasanadesh.up.nic.in" पर भी उपलब्ध है) तथा शासनादेश संख्या–672/90–सं0शि0प0 का0–2019–01सं0शि0/2015, दिनांक 15 जुलाई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 सांसदों एवं विधान–मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं इस हेतु नोडल अधिकारी नामित करने तथा प्रत्येक त्रैमास की कृत कार्यवाही की सूचना शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु अधिकतर विभागों/जनपदों के विभिन्न स्तरों से तृतीय त्रैमास (01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक) की वांछित सूचनाएं अभी तक अप्राप्त हैं।

2– अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं नामित किये गये नोडल अधिकारी की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने के साथ ही तृतीय त्रैमास (01 जुलाई, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक) की वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर कृपया शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि यदि आपके विभाग/जनपद स्तर पर मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में शून्य सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अ0आ0कमि0 (प्रशासन)

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह– II)
प्रमुख सचिव।

कमिश्नर
2.12.19

उप0 आयु0 (प्रशासन)

3312

1127
03/12/19

ए0डी0 कमि0
03-12-19

1149
04/12/19

पत्र संख्या–स्था–1–सामान्य– 4185 .2019–20 / /   / / वाणिज्यकर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना–राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ   दिनांक 11/12/2019

<u>प्रतिलिपि</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या–1225/90–स0शि0प्र0का0/2019–01 स0शि0 /2015 दिनांक–05 नवम्बर 2019 के कम में सूचनार्थ।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड.1/ ग्रेड.–2 वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश को शासन से प्राप्त निर्देशों के कम में सूचना तत्काल शासन / मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश ।
8.. समस्त अनुभाग प्रभारी वाणिज्य कर मुख्यालय ।
9.. समस्त वाणिज्यकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10 डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्यकर मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर प्रर्दशित करने हेतु ।
11.. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्यकर
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।